

22/5/17 पत्रावली केम्प बोर्ड/न्याय कार्यालय इवार में प्रस्तुत हुई।
 वारी कुंभस्थित। उत्तरिणी मनु. 1२७३-२ वर कावाज लगाई।
 राष्ट्रपार्टी की जाती है। पत्थरगाड़ी का प्रार्थना पत्र
 स्वीकार दिया जाता है। पत्रावली फेब्रुअरी सुमार होकर
 नंबर से कम है।

उपखण्ड अधिकारी
 धौलवाड़ा

डॉ. वि. मोहन
 वारी (2)

डॉ. वि. मोहन
 वारी (3)

1. देवा पिता नारायण गाडरी, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. हीरा पिता नारायण गाडरी, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. प्रताप पिता नारायण गाडरी, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
4. गुलाब पिता नारायण गाडरी, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
5. लक्ष्मण पिता नारायण गाडरी, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
6. मोहन पिता मगना गाडरी, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
7. देउ पुत्री मगना गाडरी, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. कासु पिता धुकल जाट, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
2. देवा पिता सवाईराम जाट, निवासी धूमडास तहसील व जिला भीलवाडा।
3. योगेश पिता गोविन्द पारीक, निवासी जुनावास गुलमण्डी भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 22.05.2017

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू-राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 13.01.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धूमडास, पटवार क्षेत्र रूपाहेली, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 32 रकबा 01-13 बीघा, आराजी संख्या 34 रकबा 01-18 बीघा, आराजी संख्या 36 रकबा 01-15 बीघा, आराजी संख्या 37 रकबा 01-12 बीघा, आराजी संख्या 38 रकबा 01-00 बीघा कुल कित्ता 05 कुल रकबा 07-18 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण उपस्थित नहीं होने से इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थीगण स्वयं के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख में किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम धूमडास, पटवार क्षेत्र रूपाहेली तहसील भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 32 रकबा 01-13 बीघा, आराजी संख्या 34 रकबा 01-18 बीघा, आराजी संख्या 36 रकबा 01-15 बीघा, आराजी संख्या 37 रकबा 01-12 बीघा, आराजी संख्या 38 रकबा 01-00 बीघा कुल कित्ता 05 कुल रकबा 07-18 बीघा कृषि भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकारान की उपस्थिति में करा देवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 800/- अक्षरे आठ सौ रुपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रुपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 22.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फौसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपसचिव, अधिवक्ता
भीलवाडा